"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2009—ज्येष्ठ 6, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-14/2009/वाक/पांच (23).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अधीन कर देनगी करने के दायित्वाधीन व्यापारी जिनका वार्षिक सकल विक्रय रुपए 10 लाख से कम है, को 01-04-2009 की प्रभावशीलता से उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधानों के क्रियान्वयन से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 10-14/2009/वाक/पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2009/वाक/पांच (23), दिनांक 27-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 27th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10-14/2009/CT/V (23).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government hereby exempts the dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), whose annual gross turnover is less than Rupees 10 Lacs, from the operation of all the provisions of the said Act with effect from 01-04-2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.